

## लोक सुनवाई का वृत्त

मेसर्स अशोक कुमार, ग्राम-खरार, जिला-गया द्वारा गया जिला के अंचल-बाँकेबाजार, गया मोरहर-35 बालू घाट, ग्राम-नवाडीह, परसावन कुर्द और बारबाडीह, मोरहर नदी का क्षेत्रफल-41.90 हेक्टेयर बालू खनन करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत दिनांक-30.09.2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रखण्ड कार्यालय, बाँकेबाजार, जिला-गया के सभागार में लोक सुनवाई आयोजित किया गया।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0.ओ0.आर0. (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या- SIA/1(a)/1052/2020, दिनांक-21.07.2020 के आलोक में श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता (वि0जा0), गया की अध्यक्षता में की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

उक्त लोक सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक-23.08.2020 द्वारा प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान श्री एस. एन. झा, सहायक पर्यावरण अभियंता, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, गया द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों एवं सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार ई0 नीतिश कुमार द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना अर्ध यांत्रिक (semi mechanized) आधारित है अतः खनिज निकासी व ढुलाई के लिए मशीनों का उपयोग किया जाना अनुमोदित है। किसी प्रकार की विस्फोटक व ड्रिलिंग की आवश्यकता नहीं है। परियोजना का कुल लागत का 2 प्रतिशत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व मद में रखा गया है जो बिहार सरकार द्वारा अनुमान्य है। परियोजना में कुल 26 कामगारों की आवश्यकता होगी जिनकी भर्ती के लिए स्थानीय निवासियों को वरीयता दी जायेगी। खनन कार्य रात्रि में पूर्ण रूप से बंद रहेगा। खनन कार्य पूर्ण रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण के मानकों को अनुरूप बनाये रखने के लिए ग्रामीण इलाकों तथा खनन क्षेत्र के मध्य सघन छत्र वाले पौधों का रोपण किया जायेगा। रात्रि में हॉर्न का प्रयोग न्यूनतम स्तर पर किया जायेगा।

खनन कार्य एवं खनिज परिवहन में धूल-कणों का उत्सर्जन होता है जिसके नियंत्रण के लिए तीन बार जल का छिड़काव किया जायेगा तथा खनिज का परिवहन तिरपाल से ढक कर ही वाहनों का संचालन किया जायेगा। खनन क्षेत्र में उन्हीं वाहनों को प्रवेश मिलेगा जो पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होंगे अर्थात् पी.यू. सी. प्रमाणित होंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गया में पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद बालू खनन का कार्य प्रारंभ होगा। बालू खनन का कार्य बहुत पुरानी विधि है परन्तु खनन क्रिया में पहले से बहुत सुधार हुआ है। खनन क्रिया पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। खनन क्षेत्र के आस-पास विस्तृत परियोजना विवरणी बनाया जाता है तथा सभी स्थितियों में वातावरण अनुकूल रहे इसका ख्याल रखा

*He*

*He*

जाता है। पट्टाधारी द्वारा नियमानुसार बालू का खनन किया जायेगा साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया जायेगा। स्थानीय जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। पारदर्शिता के साथ खनन कार्य किया जायेगा। स्थानीय लोग बेहतर जानते हैं। इस कार्य में स्थानीय जनता का सहयोग/सुझाव/मंतव्य आवश्यक है।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैं:-

1. श्री रवीन्द्र कुमार पिन्दु, पिता-श्री राम कुमार प्रसाद, ग्राम-लुटुआ, थाना-लुटुआ, पो0-बाँकेबाजार, जिला-गया द्वारा पूछा गया कि स्थानीय लोगों को मुफ्त में बालू मुहैया कराया जाय।

उत्तर- पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि मुक्त में बालू देने का कोई प्रावधान नहीं है। बालू का दर सरकार निर्धारित करती है। साथ-ही बताया गया कि यह लोक सुनवाई पर्यावरण का संतुलन बनाये रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जायेगा।

2. श्री विमल कुमार यादव, पिता-श्री भगवान प्रसाद यादव, ग्राम-जोरी बेचुविगहा, नवाडीह, प्रखण्ड-बाँकेबाजार, जिला-गया द्वारा पूछा गया कि बालू ढुलाई से सड़क खराब होती है इसकी मरम्मत का जिम्मेवार किसकी होगी।

उत्तर- पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि सड़क मरम्मत की जिम्मेवारी पट्टेधारक की होगी।

3. श्री सोहराय पासवान, पिता-स्व0 जगदीश पासवान, ग्राम-दुआई, पंचायत-खण्डवा, प्रखण्ड-बाँकेबाजार, जिला-गया द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू की निकासी पूरे खनन क्षेत्र से एक स्तर से हो जिससे कि खनन क्षेत्र में गड़ढा न हो तथा किसी प्रकार का कोई घटना न हो।

4. श्री अनिल कुमार, पिता-श्री रामेश्वर सिंह, ग्राम-नवाडीह, बाँकेबाजार, जिला-गया द्वारा पूछा गया कि नदी तटबंध से हमारा जमीन नजदीक में है। बरसात के मौसम में खेत से मिट्टी का कटाव होता है। इससे निपटने के लिए क्या व्यवस्था करेंगे।

उत्तर- पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन नदी के तट से 5 मीटर छोड़कर किया जायेगा। मिट्टी के कटाव से बचने के लिए तटबंधों पर पेड़-पौधे लगाये जायेगे जिससे कि मृदा अपरदन की समस्या से निपटने में सहायता मिलेगी।

सहायक पर्यावरण अभियंता, बि0रा0प्र0नि0 पर्षद द्वारा बताया गया कि बालू ढुलाई का रास्ता (सड़क) गाँव या आबादी से होकर नहीं जाना चाहिए नहीं तो आम जनता को काफी दिक्कत होता है। साथ-ही-साथ वैकल्पिक सड़क का भी पहचान किया जायेगा ताकि वाहनों की संख्या एवं परिवहन भार पर नियंत्रण रखा जा सके। स्थानीय लोगों की शिकायतों का पूर्ण रूप से निष्पादन किया जायेगा। पट्टाधारक द्वारा सभी नियम एवं शर्तों का पूर्ण रूप से पालन कराया जायेगा। खनन कार्य से पर्यावरण को कोई क्षति न हो इसके लिए विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू की ढुलाई गाँव/आबादी के बीच नहीं की जायेगी। वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था की जायेगी। आम जनता को दिक्कत नहीं हो इसलिए विद्यालय

H

!

आने-जाने के समय या भीड़-भाड़ होने के दौरान बालू की ढुलाई नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि नदी के खनन क्षेत्र के 40 (चालीस) प्रतिशत हिस्सा में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

*Hambh*  
30-9-20



सहायक पर्यावरण अभियंता  
बि०.रा०.प्र०.नि०.पर्वद, गया।

*[Signature]*  
30/9/20

अपर समाहर्ता (वि०जा०)  
गया

## उपस्थिति सूची

मे० अशोक कुमार, ग्राम-खरार द्वारा गया जिलान्तर्गत अंचल-बाँकेबाजार के मोरहर नदी पर मोरहर घाट-35 से बालू खनन करने हेतु प्रखण्ड कार्यालय, बाँकेबाजार, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 30.09.2020 (बुधवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	संतोष कुमार श्रीवास्तव	मथर - लमहेरी, वि०पी० गया	 30-09-20
2.	शत्रुघ्न नाथ श्री अशोक परियोजनाकार	बिहार राज्य प्रखण्ड मिपेठगाँव पंचायत, पटना	Shambh. 30-9-20
3.	श्री अशोक -	प्रखण्ड कार्यालय 4410 बाँकेबाजार	 30/9/20
4.	Er. Nitish Kumar	ग्राम मंसूरशारिफ Munsoori Sharif, Patna	Nitish Kumar
5.	JYOTISH KUMAR	Patna	Jyotish Kumar
6.	प्रीमचंद्र कुमार	द्विगुनिया	Premchand Kumar
7.	मुकेश कुमार	दिल्ली	Mukesh Kumar
8.	मनोज कुमार	दिल्ली	Manoj Kumar
9.	रवीन्द्र कुमार सिन्हा	लुधिया	Ravi
10.	राजेश कुमार	दिल्ली	Rajesh
11.	मलय कुमार	दिल्ली	Malay Kumar
12.	अशोक कुमार	खरार	Ashok
13.	विमल कुमार	बिहार	Vimal Kumar
14.	अशोक कुमार सिन्हा	मधुपुर	Ashok
15.	उदय कुमार	खरार	Uday Kumar

